पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.167/2025

RBE No.126/2025

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/0001/2025 (Com.No.309129) Date: As Signed

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषयः- Amendment in provisions related to Holiday Homes - Chapter XXII of IREM Vol.II (Revised Edition – 1990).

संदर्भः- Railway Board's letter No.- 2025/E(W)/24/1, Dated-22.12.2025.

******

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally signed by
PRAKASH KUMAR SINGH
Date: 27-01-2026
11:44:17

सकाधि/ई.एस.एम.
कृतें महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. महासचिव/ईसीआरईयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर–कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

RBE No.126 /2025
ACS No. 12

भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेलमंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवेबोर्ड) (RAILWAY BOARD)

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

No.2025/E(W)/24/1 **New Delhi, dated 22.12.2025**

The General Managers/DGs/CAOs(P)
All Indian Railways, PUs & CTIs.

Sub: Amendment in provisions related to Holiday Homes- Chapter XXII of IREM Vol.II (Revised Edition-1990).

Ref: Board's letter No. E(W)/2000/WE-2/2dated 07.12.2000 (RBE No. 212/2000).

*****

The annual outlay limit of ₹10 Lakh prescribed under Para 2220 of Chapter-XXII (Staff Welfare), Section C of the Indian Railway Establishment Manual Volume II (Revised Edition-1990) was circulated vide Board's letter cited under reference. It has now been decided with the approval of the Competent Authority to revise the existing limit of annual outlay from ₹10 Lakh to ₹ 35 Lakh.

2. Accordingly, Para 2220 of IREM Vol.II (Revised Edition-1990) is amended as per Advance Correction Slip (enclosed).

3. This will take effect from the date of issue of this letter. All other terms and conditions will remain the same.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

22/12/25

(M.M.Jeyabalan)
Jt. Director Estt.(Welfare)
Railway Board
Phone No.: 011-47845543

No.2025/E(W)/24/1 New Delhi, dated 22.12.2025

Copy to:-

1. PFAs, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

For Member Finance, Railway Board

.....2.....

Copy to:-

(i) Joint Secretary, Railway Board.
(ii) Computer Cell/C&IS, Railway Board
(iii) As per standard list.

Copy for information to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroze Shah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No.476-K, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The General Secretary, RBSSSA, Room No.372, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
12. The Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.7, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employees Federation (AIOBCREF), Room No.33, Rail Bhawan, New Delhi.

22/12/2025

For Principal Executive Director(IR)
Railway Board

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL VOLUME-II
(REVISED EDITION-1990)

Chapter-XXII (Staff Welfare)
Section-C (Holiday Homes)

Advance Correction Slip No. 12 **(Para-2220)**

Para-2220 may be modified as follows:

"Amount of Rs.10 Lakh appearing in Sub-Paras (i) and (iii) may be amended to be read as Rs.35 Lakh (Rupees Thirty-Five Lakh only)."

(Authority: Board's letter No. 2025/E(W)/24/1, dated 22.12.2025)

आरबीई संख्या 126/2025
अग्रीम शुद्धि पर्ची सं. 12

भारतसरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेलमंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवेबोर्ड / RAILWAY BOARD)

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

सं.2025/ई(डब्ल्यू)/24/1 **नई दिल्ली, दिनांक 22.12.2025**

महाप्रबंधक/महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(पी)
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयाँ एवं सीटीआई।

विषय: अवकाश गृहों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन - भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II, (संशोधित संस्करण-1990) का अध्याय 22.

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 07.12.2000 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)/2000/डब्ल्यूई-2/2 (आरबीई सं. 212/2000)

*****

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II, (संशोधित संस्करण-1990) का अध्याय 22 (कर्मचारी कल्याण), खंड ग के पैरा 2220 के अंतर्गत विहित 10 लाख रू. की वार्षिक परिव्यय की सीमा को बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के तहत परिपत्रित किया गया था। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वार्षिक परिव्यय की मौजूदा सीमा को 10 लाख रू. से बढ़ाकर 35 लाख रू. तक संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

2. तदनुसार, भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द II, (संशोधित संस्करण-1990) के पैरा 2220 को अग्रिम शुद्धि पर्ची (संलग्न) के अनुसार संशोधित किया गया है।

3. यह इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। अन्य नियम और शर्तें समान रहेंगी।

...2....

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

22/12/25

(एम.एम.जेयाबालन)
संयुक्त निदेशक स्था.(कल्याण)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष: 011-47845543

सं.2025/ई(डब्ल्यू)/24/1 नई दिल्ली, दिनांक 22.12.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

संजय

कृते सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

i. संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड।
ii. कम्प्यूटर सेल/सी एंड आईएस, रेलवे बोर्ड
iii. मानक सूची के अनुसार।

...3...

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद और विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 476-के, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसियशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसियशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. जनरल सेक्रेटरी, आरबीएसएसएसए, कमरा नं.372, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसियशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इम्पलाइज़ फेडरेशन (एआईओबीसीआरईएफ), कमरा नं.33, रेल भवन, नई दिल्ली।

22/12/2025

कृते प्रधान कार्यकारी निदेशक (आईआर)
रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II

(संशोधित संस्करण-1990)

अध्याय-22 (कर्मचारी कल्याण)

खंड-ग (अवकाश गृह)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 12 (पैरा-2220)

पैरा-2220 को निम्नानुसार आशोधित किया जाए:

"उप-पैरा (i) और (iii) में दर्शित 10 लाख रू. की राशि को संशोधित कर 35 लाख रू. (केवल पैंतीस लाख रूपये) पढ़ा जाए।"

(प्राधिकार:बोर्ड के दिनांक 22.12.2025 का पत्र सं. 2025/ई(डब्ल्यू)/24/1)